रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112020-222985
CG-DL-E-06112020-222985

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2020/कार्तिक 15, 1942
No. 566] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2020/KARTIKA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.690(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप मोटरयान अधिनिमय, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 541 (अ), तारीख 1 सितंबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिनको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, से तीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां 1 सितंबर, 2020 से जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम,1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उपधारा (14), धारा 110 और धारा 164 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (अठारहवाँ संशोधन) नियम 2020 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम, 90 के खंड (3) में, "1 अक्तूबर, 2019 के अपश्चात्" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों में, नियम 138क को उसके उपनियम (1) के रुप में संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) 1 दिसंबर, 2017 से पूर्व बेचे गए प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन मोटर यानों में 1 जनवरी, 2021 को या उसके पहले फास्टैग लगाया जाएगा ।"

4. उक्त नियमों के प्ररुप 51 में क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, जो कि 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे, अर्थात् :-

"4क फास्टैग आई डी..............................."

[फा. सं. आर टी-11028/16/2011-एम वी एल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 682 (अ) तारीख 29 अक्तूबर, 2020 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2020

G.S.R. 690(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R. 541(E), dated the 1st September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 1st day of September, 2020;

And whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) of section 88, section 110 and sub-section (2) of section 164 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eighteenth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the day of their publication in Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 90, in clause (3) the words, figures and letters "not later than 1st October, 2019" shall be omitted.

3. In the said rules, rule 138A shall be numbered as sub-rule (1) thereof, and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(2) Categories M and N motor vehicles sold before 1st December, 2017 shall be fitted with FASTag on or before the 1st January, 2021."

4. In the said rules, in FORM 51, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, with effect from 1st April, 2021, namely:-

"4A. FASTag ID ……………………………"

[F. No. RT-11028/16/2011-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R.682(E) dated 29th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.